

जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी

प्रलिमिस के लिये

वस्तु एवं सेवा कर, क्षतप्रिपकर

मेन्स के लिये


GST क्षतप्रिपकर का मुद्दा और जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी का कारण

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रहण 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, जो कि फरवरी 2020 के बाद इस वर्ष सबसे अधिक कर राजस्व है।

प्रमुख बातें

- अक्टूबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में एकत्र किया गया कुल कर राजस्व अक्टूबर 2019 में एकत्र किये गए कुल राजस्व से 10 प्रतशित अधिक है।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अक्टूबर माह में अर्जित कुल राजस्व क्रमशः 44,285 करोड़ रुपए और 44,839 करोड़ रुपए है।
- राज्यों में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष अक्टूबर माह में बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक 26 प्रतशित की वृद्धिदर्ज की है, जिसके बाद झारखण्ड (23 प्रतशित) और राजस्थान (22 प्रतशित) का स्थान है।
- जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का पैटर्न औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में काफी मशिरति रूप में देखने को मिला और जहाँ गुजरात तथा तमिलनाडु में क्रमशः 15 प्रतशित और 13 प्रतशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वही महाराष्ट्र में यह बढ़ोतरी केवल 5 प्रतशित रही।
- अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में राजधानी दिल्ली में जीएसटी संग्रह में 8 प्रतशित की कमी देखने को मिली है।



कारण

- कई अरथशास्त्रियों ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के इस मौजूदा पैटर्न की स्थिरता को लेकर चति ज़ाहरि की है, क्योंकि उनका मानना है कि

राजस्व में हो रही बढ़ोतरी का मुख्य कारण त्र्योहार का सीज़न है और उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई है कि जब यह सीज़न समाप्त होगा तो राजस्व कर संग्रह के मामले में पहले जैसी स्थिति में आ सकती है।

नहितिरथ

- सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष (वर्ष 2020-21) में पहली बार वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह का आँकड़ों का 1 लाख रुपए के पार जाने को अरथव्यवस्था में सुधार के एक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व पहली तमाही (अप्रैल से जून) में भारतीय अरथव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में रकीर्ड 23.9 प्रतशित का संकुचन दर्ज किया गया था।
- यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर संग्रहण में वृद्धिइक्षी प्रकार जारी रहती है तो राज्यों के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजे में अपेक्षित कमी 2.35 लाख करोड़ रुपए के मौजूदा अनुमान से कम हो सकती है।

जीएसटी (GST) उपकर संग्रह

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) अपनाने के लिये राज्यों को क्षतप्रूरतिदियि जाने हेतु प्रयोग होने वाला जीएसटी (GST) उपकर संग्रह 8,011 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जिसमें माल के आयात पर एकत्रित किये गए 932 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
- यह बीते वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में 5 प्रतशित और बीते माह की तुलना में 12.5 प्रतशित अधिक है।

क्षतप्रूरतिउपकर

नियम के अनुसार, वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14 प्रतशित से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षतप्रूरतिकी गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षतप्रूरतिका भुगतान किया जाता है।

- क्षतप्रूरतिउपकर एक ऐसा उपकर है जिसि 1 जुलाई, 2022 तक चुनावी वस्तुओं और सेवाओं पर संग्रहीत किया जाएगा, ताकि राज्यों को क्षतप्रूरति का भुगतान किया जा सके।
- संग्रहण के बाद केंद्र सरकार इसे राज्यों को वितरित कर देती है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा जीएसटी संग्रहण से संबंधित इन आँकड़ों को आर्थिक सुधार के एक संकेतक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, हालाँकि कई जानकार यह मान रहे हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का नारिण्य लेने से पूर्व सरकार को आगामी महीनों के आँकड़ों का भी इंतज़ार कर लेना चाहिये।

स्रोत: द हट्टी